

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**आदेश सुरक्षित रखने का दिनांक 03.10.2024****आदेश पारित करने का दिनांक 25.11.2024****रिट याचिका सेवा क्रमांक 684/2015**

- 1- राजकुमारी, पिता स्व. रामशरण, आयु लगभग 35 वर्ष; जाति- पनिका, निवासी- डोमनहिल, थाना- चिरमिरी, तहसील खड़गवां, जिला कोरिया (छ.ग.)।
- 2- प्रेमचंद, पिता स्व. रामशरण, आयु लगभग 49 वर्ष; जाति- पनिका (दिव्यांग), निवासी- ग्राम पोड़ी, नवापारा, पोस्ट पोड़ी, तहसील खड़गवां, जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)।
- 3- शीतला, पति स्व. धनीराम, आयु लगभग 40 वर्ष; पिता स्व. रामशरण, जाति- पनिका, व्यवसाय- गृहणी, निवासी- नवापारा पोड़ी, चित्ताझोर, पोस्ट पोड़ी, तहसील खड़गवां, जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)।

... याचिकाकर्तागण

विरुद्ध

- 1- साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, द्वारा मुख्य प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यालय, सीपत रोड, बिलासपुर, (छ.ग.)।
- 2- निदेशक(कार्मिक), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मुख्य कार्यालय, सीपत रोड, बिलासपुर, (छ.ग.)।
- 3- मुख्य महाप्रबंधक, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, चिरमिरी क्षेत्र, जिला- कोरिया, (छ.ग.)।
- 4- क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक, चिरमिरी क्षेत्र, जिला- कोरिया, (छ.ग.)।
- 5- उप क्षेत्रीय प्रबंधक, एन.सी.पी.एच. कोलियरी, चिरमिरी, जिला- कोरिया, (छ.ग.)।

...उत्तरवादीगण

याचिकाकर्तागण की ओर से : श्री अशोक कुमार शुक्ला, अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण की ओर से : श्री शैलेंद्र शुक्ला, अधिवक्ता।

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे**सी.ए.वी. आदेश**



1. याचिकाकर्तागण ने यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन प्रस्तुत की है। इसमें उत्तरवादीगण द्वारा दिनांक 11.02.2015 के पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता क्रमांक 1 की अनुकंपा नियुक्ति को निरस्त किए जाने को चुनौती दी गई है। यह जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त हुई है। साथ ही, दिनांक 02.08.2011 के उस पत्र को भी चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा उत्तरवादीगण ने याचिकाकर्ता के भाई द्वारा दर्ज कराई गई एक कथित फर्जी शिकायत के आधार पर मनमानी कार्रवाई की है। जबकि याचिकाकर्ता के भाई द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र से यह स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि वह एक दिव्यांग व्यक्ति है और उसने अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में कभी भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी।

2. याचिकाकर्तागण द्वारा संक्षिप्त में वर्णित प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता क्रमांक 1 के पिता उत्तरवादी प्राधिकारियों के अधीन एक पूर्व कर्मचारी थे और अपनी सेवा अवधि के दौरान उन्होंने लोडर के रूप में कार्य किया था; उनका निधन दिनांक 07.09.2006 को हुआ, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र अनुलग्नक पी/3 के रूप में संलग्न है। याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु के पश्चात, याचिकाकर्ता क्रमांक 1, जो कि एक अविवाहित स्त्री है, ने अपने परिवार के कल्याण और भरण-पोषण हेतु अपने पिता के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के लिए उत्तरवादीगण के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया। अन्य आश्रितों, अर्थात् याचिकाकर्ता की बहन श्रीमती शीतला और भाई प्रेमचंद ने याचिकाकर्ता क्रमांक 1 को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि उसकी बहन शीतला एक विवाहित स्त्री है और भाई प्रेमचंद एक शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति है, जो उत्तरवादी प्राधिकारियों के अधीन कर्तव्य पालन करने में असमर्थ है; उसका दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनुलग्नक पी/4 के रूप में जारी किया गया है। याचिकाकर्ता क्रमांक 1 द्वारा अनुकंपा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन के अनुसरण में, उत्तरवादीगण ने तदनुसार कार्यवाही की और अंततः उत्तरवादी क्रमांक 3 ने याचिकाकर्ता क्रमांक 1 को सेवा से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ दिनांक 16.07.2010 (अनुलग्नक पी/5) को चिकित्सा परीक्षण के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया। तदनुसार, याचिकाकर्ता क्रमांक 1 सभी संबंधित सुसंगत दस्तावेजों के साथ दिनांक 16.07.2010 को चिकित्सा परीक्षण के लिए उपस्थित हुईं। इसके पश्चात, याचिकाकर्ता क्रमांक 1 उत्तरवादी प्राधिकारियों के अधीन अनुकंपा के आधार पर अपनी नियुक्ति के संबंध में उत्तर या किसी आदेश की प्रतीक्षा करती रही, किंतु उत्तरवादीगण द्वारा न तो उसके पक्ष में कोई नियुक्ति आदेश जारी किया गया और न ही आज तक उसे किसी अस्वीकृति आदेश की सूचना दी गई। उत्तरवादीगण की ओर से हुई इस निष्क्रियता से व्यथित होकर, याचिकाकर्तागण ने निरंतर उनसे संपर्क किया और मौखिक एवं लिखित दोनों रूपों में अपनी बात रखी, जिसमें सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत दिनांक 05.11.2014, 29.12.2014, 27.01.2015 और 06.02.2015 (अनुलग्नक पी/6) को प्रेषित पत्र शामिल हैं। यद्यपि, याचिकाकर्ता द्वारा सूचना के अधिकार के अन्तर्गत दिए गए आवेदनों के संबंध में उत्तरवादी प्राधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई और न ही उसे कोई अस्वीकृति पत्र जारी किया गया। आरटीआई अधिनियम के अन्तर्गत



दिनांक 11.02.2015 के पत्र (अनुलग्नक पी/1) के माध्यम से उत्तरवादी द्वारा यह सूचित किया गया कि याचिकाकर्ता की अनुकंपा नियुक्ति को दिनांक 05.07.2010 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है और आगे यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने धोखाधड़ी के माध्यम से उत्तरवादी प्राधिकारियों के अधीन नियुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न किया। उत्तरवादीगण ने याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्यों द्वारा निष्पादित शपथ पत्रों (अनुलग्नक पी/7) की अनदेखी की है, जिसमें याचिकाकर्ता के भाई प्रेमचंद ने अपनी शारीरिक निःशक्तता के साथ-साथ अपनी बहन को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के संबंध में अपनी सहमति व्यक्त की थी, अतः याचिकाकर्ता द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है। अतः याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित अनुतोष की मांग हेतु यह याचिका प्रस्तुत की गई है:—

“(i) यह कि, यह माननीय न्यायालय कृपया उत्तरवादी प्राधिकारियों से याचिकाकर्ता के प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेख मंगाने की कृपा करे।

(ii) यह कि, यह माननीय न्यायालय कृपया आक्षेपित आदेशों/पत्रों (अनुलग्नक पी/1 एवं पी/2) को अपास्त करने की कृपा करे।

(iii) यह कि, यह माननीय न्यायालय कृपया उत्तरवादी प्राधिकारियों को याचिकाकर्ता के प्रकरण पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने हेतु विचार करने का निर्देश देने की कृपा करे।

(iv) यह कि, अन्य कोई अनुतोष/आदेश जो प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और न्यायसंगत प्रतीत हो, जिसमें याचिका का वाद-व्यय अधिनिर्णय भी शामिल है, प्रदान करने की कृपा करें।”

3. याचिकाकर्तागण की ओर से विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान न करने के संबंध में उत्तरवादी प्राधिकारियों की ओर से की गई आक्षेपित निष्क्रियता विधि-विरुद्ध, मनमानी, भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता राजकुमारी ने अपने परिवार की वित्तीय स्थिति को देखते हुए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए तत्काल आवेदन किया था। मृतक कर्मचारी की मृत्यु के बाद, याचिकाकर्तागण का पूरा परिवार भारी वित्तीय संकट का सामना कर रहा है, क्योंकि याचिकाकर्ता का इकलौता भाई दिव्यांग है और उसकी माँ एक वृद्ध विधवा स्त्री है तथा परिवार में कोई अन्य आय अर्जन करने वाला सदस्य नहीं है। उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति देने के प्रकरण को केवल कथित शिकायतों के आधार पर खारिज कर दिया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया और न ही कथित शिकायतों की सत्यता के बारे में कोई जांच की गई। याचिकाकर्ता क्रमांक 1 के भाई ने आज तक याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के संबंध में कोई शिकायत या आपत्ति दर्ज नहीं की है। यद्यपि, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के भाई के नाम पर फर्जी और मनगढ़ंत शिकायतें की गई हैं और यह स्पष्ट है कि उक्त कथित शिकायत पर याचिकाकर्ता के भाई के फर्जी



हस्ताक्षर किए गए हैं। उसी के आधार पर, उत्तरवादी प्राधिकारियों ने याचिकाकर्ता या उसके भाई को सुने बिना, याचिकाकर्ता क्रमांक 1 के दावे को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्यों ने वर्ष 2014 में अपने शपथ पत्र भी प्रस्तुत किए हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उन्हें उत्तरवादी प्राधिकारियों के अधीन याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने पर कोई आपत्ति या शिकायत नहीं है। मृत कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के पास अनुकंपा नियुक्ति के अलावा आजीविका का कोई अन्य स्रोत नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना उसके प्रकरण को खारिज करना विधि-विरुद्ध है और अपास्त किए जाने योग्य है। याचिकाकर्ता क्रमांक 1 अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए दर-दर भटक रही है, किंतु आज तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। अतः, आक्षेपित आदेशों/पत्रों (प्र.पी/1 और प्र.पी/2) को अपास्त किया जाए और उत्तरवादी प्राधिकारियों को याचिकाकर्ता के प्रकरण पर अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।

4. इस संबंध में निम्नलिखित निर्णयों का अवलंब लिया गया है: इस न्यायालय द्वारा **चंद्रानी सिन्हा** विरुद्ध **छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी होल्डिंग कंपनी**, रिट याचिका सेवा क्रमांक 5576/2014 में पारित आदेश दिनांक 07.09.2016; **श्रीमती सरोजनी भोई** विरुद्ध **छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य**, 2015 सीजे (छ.) 183 में प्रकाशित प्रकरण ; इस न्यायालय द्वारा **विजया कुमारी व अन्य** विरुद्ध **साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड व अन्य**, रिट याचिका सेवा क्रमांक 5935/2021 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2021; तथा इस न्यायालय द्वारा **श्रीमती सुलेखा मैती** विरुद्ध **छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य**, रिट याचिका सेवा क्रमांक 1217/2016 में पारित आदेश दिनांक 08.02.2022।

5. उत्तरवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया और यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता क्रमांक 1 के पिता स्व.रामशरण एन.सी.पी.एच. कोलियरी में लोडर के पद पर कार्यरत थे और उनका निधन दिनांक 07.09.2006 को हुआ था। मृतक कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात, उनकी पत्नी श्रीमती बैजंती कुँवर द्वारा अपनी पुत्री राजकुमारी को रोजगार प्रदान करने हेतु अनुकंपा नियुक्ति का दावा प्रस्तुत किया गया था। प्रस्ताव प्रस्तुत करने के दौरान, श्रीमती बैजंती कुँवर ने शपथ पूर्वक यह घोषणा की थी कि मृतक कर्मचारी की पुत्री कुमारी राजकुमारी वर्तमान में अविवाहित है, उनके साथ रह रही है और पूरी तरह से उन पर आश्रित है। मृतक कर्मचारी की पुत्री राजकुमारी ने भी शपथ पूर्वक घोषणा की थी कि वह अविवाहित है और अपने पिता के जीवित रहते उन पर पूर्णतः आश्रित थी। साथ ही, मृतक के पुत्र श्री प्रेमचंद ने भी अपनी बहन राजकुमारी को अविवाहित बताते हुए अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। संबंधित आवेदक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त घोषणा/शपथ और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खड़गवां द्वारा जारी संबंध प्रमाण-पत्र के आधार पर, उत्तरवादी प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता क्रमांक 1 को अनुकंपा नियुक्ति देने के दावे पर विचार किया गया था। तदनुसार, नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व, याचिकाकर्ता को दिनांक 16.07.2010 के पत्र के माध्यम से प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षण हेतु चिरमिरी क्षेत्र के स्थानीय चिकित्सालय खुरसिया भेजा गया था। यह कार्रवाई



उत्तरवादी द्वारा सामाजिक सुरक्षा अध्याय की धारा 9.3.3 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी, जिसमें उल्लेख है कि सेवा के दौरान मृत्यु होने पर या स्थायी रूप से अक्षम होने पर एक आश्रित को रोजगार प्रदान किया जाएगा। इस निर्णय का प्रभावी अंश अनुलग्नक आर-1 है। इसी बीच, मृतक रामशरण के पुत्र और याचिकाकर्ता के भाई श्री प्रेमचंद ने दिनांक 02.08.2010 को एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने आपत्ति जताई कि याचिकाकर्ता राजकुमारी स्वयं को अविवाहित पुत्री घोषित कर अपने पिता के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। सभी दस्तावेज फर्जी आधार पर प्राप्त किए गए हैं, इसलिए राजकुमारी के प्रकरण पर विचार नहीं किया जा सकता। साथ ही, श्री धनीराम, पिता कैलाश राम, निवासी नवापारा, जिला कोरिया ने पुलिस अधीक्षक, कोरिया बैकुंठपुर के समक्ष एक शिकायत प्रस्तुत की, जिसकी प्रति अनुलग्नक आर-2 के रूप में संलग्न है। उपरोक्त शिकायत प्राप्त होने के बाद, उत्तरवादी ने इसे पुलिस अधीक्षक, कोरबा (छ.ग.) के साथ-साथ पुलिस अधीक्षक, कोरिया बैकुंठपुर (छ.ग.) को प्रेषित किया था। प्रकरण की गहन जांच की गई जहाँ मृतक कर्मचारी के सभी परिवार के सदस्यों और संबंधित व्यक्तियों के कथन लिखित में लिए गए। मृतक कर्मचारी की पत्नी श्रीमती बैजंती कुँवर का कथन और राजकुमारी (यहाँ याचिकाकर्ता), पत्नी फूलसाय का कथन भी अभिलेख में लिया गया। उक्त कथनों के परिशीलन से यह पाया गया कि राजकुमारी (यहाँ याचिकाकर्ता क्रमांक 1) मृतक कर्मचारी की विवाहित पुत्री है और वह उत्तरवादी प्राधिकारी के समक्ष फर्जी प्रमाण-पत्र और दस्तावेज प्रस्तुत कर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। पुलिस अधीक्षक की विस्तृत जांच रिपोर्ट की प्रति अनुलग्नक आर-3 है। चूँकि, याचिकाकर्ता राजकुमारी मृतक कर्मचारी की विवाहित पुत्री है और राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता के प्रावधानों के अनुसार वह अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने की पात्र नहीं है, अतः याचिकाकर्ता के प्रकरण पर विचार नहीं किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता की याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

6. उभय पक्षकारण के अधिवक्तागण को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया।

7. इस प्रकरण में यह एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्तागण के पिता स्व. रामशरण उत्तरवादी प्राधिकरण के अधीन लोडर के पद पर कार्यरत थे और उनका निधन दिनांक 07.09.2006 को हुआ था। यह भी निर्विवाद है कि मृतक रामशरण की पत्नी श्रीमती बैजंती कुँवर ने अपनी पुत्री राजकुमारी के लिए अनुकंपा नियुक्ति का दावा किया था और उत्तरवादी प्राधिकारी ने दिनांक 16.07.2010 को चिकित्सा परीक्षण हेतु पत्र जारी किया था।

8. उत्तरवादीगण के अनुसार, याचिकाकर्ता राजकुमारी के आवेदन के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं और उन शिकायतों को पुलिस अधीक्षक को प्रेषित किया गया था। जाँच के पश्चात यह पाया गया कि याचिकाकर्ता राजकुमारी, रामशरण की विवाहित पुत्री है। अतः, राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता के प्रावधानों के अनुसार, वह अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने की हकदार नहीं है।



9. अब, संशोधन के माध्यम से, याचिकाकर्ता क्रमांक 1 ने प्रेमचंद और शीतला को याचिकाकर्ता क्रमांक 2 और 3 के रूप में जोड़ा है, जहाँ याचिकाकर्ता प्रेमचंद उसका भाई है और दूसरी याचिकाकर्ता उसकी बहन है। याचिकाकर्ता ने अनुलग्नक पी-09 के रूप में अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जो उसकी माता बैजंती कुँवर का मृत्यु प्रमाण पत्र है; तथा अनुलग्नक पी-10 और पी-11 प्रेमचंद की पत्नी अनीता द्वारा प्रस्तुत उत्तराधिकार प्रकरण की प्रतियां हैं। अनीता के आवेदन के अनुसार, उसका पति प्रेमचंद दिव्यांग और मानसिक रूप से अस्थिर है, इसलिए वह अनुकंपा नियुक्ति चाहती है। अनुलग्नक पी-11 के अनुसार, विद्वान व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैकुंठपुर (छ.ग.) द्वारा दिनांक 14.11.2011 को उसका प्रकरण व्यतिक्रम में खारिज कर दिया गया था।

10. उत्तरवादी प्राधिकरण ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि याचिकाकर्ता स्व. रामशरण की विवाहित पुत्री है, परंतु इस न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में यह अवधारित किया है कि विवाहित पुत्री भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है। इस न्यायालय ने रिट याचिका सेवा क्रमांक 5935/2021 में, जिसमें एस.ई.सी.एल. एक उत्तरवादी पक्षकार है, अपने कण्डिका 9 व 10 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

9. हाल के दिनों में, इस न्यायालय को समान और एकरूप प्रकृति के अत्यधिक मुकदमे प्राप्त हो रहे हैं। वर्तमान रिट याचिका में अंतर्वलित विवाद्यक का बिंदु पिछले कुछ वर्षों से पहले ही पूरी तरह से तय हो चुका है। इसके बावजूद, उत्तरवादीगण अभी भी **श्रीमती आशा पाण्डेय विरुद्ध कोल इंडिया लिमिटेड व अन्य** के प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और उसके पश्चातवर्ती निर्णयों की श्रृंखला जिन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय के स्तर तक यथावत रखा गया है, के आलोक में आश्रित नियोजन के दावे पर विचार नहीं कर रहे हैं।

10. यह उचित समय है कि उत्तरवादीगण राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता में उपरोक्त सीमा तक संशोधन करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। साथ ही, उत्तरवादी प्राधिकारियों को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रीय मुख्यालयों को इन पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए आवश्यक निर्देश भेजने चाहिए। उन्हें अधिकारियों को श्रीमती आशा पाण्डेय विरुद्ध कोल इंडिया लिमिटेड व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय और उसी विवाद्यक पर पश्चातवर्ती निर्णयों से भी अवगत कराना चाहिए। आश्रित नियोजन के दावे पर अब से दावाकर्ता के विवाहित पुत्री होने के पहलू को अनदेखा करते हुए विचार किया जाना चाहिए। उत्तरवादी प्राधिकारियों को दावाकर्तागण के दावे पर राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता के प्रावधानों के अनुसार सिवाय दावाकर्ता के विवाहित पुत्री होने के आधार को छोड़कर सख्ती से विचार करना चाहिए।"



11. उपरोक्त निर्णय के आलोक में और वर्तमान प्रकरण में भी उत्तरवादी प्राधिकारी द्वारा कोई अन्य आपत्ति नहीं उठाई गई है और यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता राजकुमारी, कर्मचारी स्व. रामशरण की विधिक उत्तराधिकारी है, इसलिए वह अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है। आशा पाण्डेय व अन्य प्रकरणों के आलोक में तथा यह भी स्पष्ट है कि अब, प्रेमचंद पिता रामशरण भी याचिकाकर्ता राजकुमारी के दावे का समर्थन कर रहे हैं। अतः, प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, यह याचिका **स्वीकार** की जाती है।

12. परिणामतः, दिनांक 11.02.2015 के आक्षेपित निष्क्रियता अनुलग्नक पी-1 और अनुलग्नक पी-2 को अपास्त किया जाता है और याचिकाकर्ता राजकुमारी को सभी दस्तावेजों के साथ नया आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। साथ ही, उत्तरवादीगण को यह निर्देशित किया जाता है कि वे याचिकाकर्ता क्रमांक 1, राजकुमारी के आश्रित नियोजन के दावे पर पुनर्विचार करें और संबंधित क्षेत्र के विधि के उपबंधों के अन्तर्गत आश्रित नियोजन के लिए अन्य आवश्यक शर्तों की पूर्ति के अधीन, उसे नियुक्ति प्रदान करें।

13. इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर यह प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए।

सही/-
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।